

[2024] 3 एस.सी.आर. 417:2024 आई.एन.एस.सी. 209

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

बनाम

भारत संघ व अन्य

[रिट याचिका (सिविल) सं. 880/2017]

में

(विविध अावेदन डायरी सं. 11805/2024)

में

(विविध अावेदन डायरी सं. 486/2024)

15 मार्च 2024

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना, बी. आर.
गवई, जे. बी. पर्दीवाला एवं मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण]

(2024 की विविध आवेदन डायरी संख्या 11805)

...

(2024 का विविध आवेदन संख्या 486)

...

(लेखन याचिका (सी) 2017 की संख्या 880) 15 मार्च 2024

[, जे जे।]

विचारार्थ विवादक

पक्षकारों ने एक-दूसरे पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे उगाही करने का आरोप लगाया। क्या अपीलार्थी द्वारा उसके विरुद्ध दायित्व कार्यवाही को अपास्त करने हेतु प्रस्तुत रिट याचिका का उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना न्यायसंगत था?

[2024] 3 एस.सी.आर

शीर्ष टिप्पण

अपास्त करना- पक्षकारों ने एक दूसरे के विरुद्ध नौकरी प्रदान करने हेतु पैसे लेने का आरोप लगाया- उत्तरवादी क्र.6 ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्राथमिकी (प्र.सू.प्र./एफ.आई.आर.) दर्ज कराई- उच्च न्यायालय ने दाण्डिक कार्यवाही को अपास्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया- यथार्थता:

अभिनिर्धारित : अपीलार्थी द्वारा 2021 में की गई शिकायत में एक जांच की गई थी जिसमें यह तथ्य दर्ज किया गया था कि उत्तरवादी क्र. 6 ने कथन किया था कि उसने अपनी पुत्री को नौकरी दिलाने हेतु अपीलार्थी को 4 लाख रुपये का भुगतान किया था- इस प्रकार, उत्तरवादी क्र.6 अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत से अच्छी तरह से अवगत था और इसलिए वह यह अभिवाक नहीं कर सकता कि उसे अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के विषय में कोई जानकारी नहीं थी-इसके बावजूद उसने अपीलार्थी और उसके भाई के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और जुलाई, 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा की- प्राथमिकी में अधिकथित आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा अप्रैल, 2019 के तीन महीने के भीतर अर्थात् जुलाई, 2019 तक नौकरी दिलाई जानी थी- यद्यपि, उत्तरवादी क्र.6 ने जुलाई, 2022 को विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज कराए जाने तक तीन वर्ष की अवधि हेतु कोई कार्रवाई नहीं की- अतः प्राथमिकी तीन वर्ष के गंभीर अस्पष्टीकृत विलम्ब से युक्त है- इसके अतिरिक्त, उन पक्षकारों के बीच पूरी तरह से अवैध अनुबंध था जहां शासकीय विभाग/निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने हेतु धन का भुगतान किया गया था- स्पष्ट रूप से, उक्त उद्देश्य हेतु वसूली का वाद दायर नहीं किया जा सकता था और यदि वाद दायर किया जा सकता तब भी उसे स्थापित करना कठिन होता क्योंकि पूरी राशि का नगद भुगतान किया गया था- अतः उत्तरवादी क्र. 6 ने प्राथमिकी दर्ज कराकर अपीलार्थी और उसके भाई पर दबाव बनाकर उक्त राशि वसूल करने का एक बेहतर माध्यम खोज निकाला- प्राथमिकी दाण्डिक अभियोजन तथा अपराधी को उसके द्वारा कारित अपराध हेतु दण्डित करने हेतु दर्ज नहीं की गई थी बल्कि दबाव बनाकर धन की वसूली हेतु

[2024] 3 एस.सी.आर

दर्ज की गई थी- आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया, प्रश्नगत प्राथमिकि से उद्भूत कार्यवाही को अपास्तकर दिया गया। [कण्डिका 11-14,16,17]

न्याय प्रशासन- कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग- पक्षकारों ने एक-दूसरे पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने और झूठी शिकायतें करने के आरोप लगाए- पुलिस को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए:

अभिनिर्धारित: निजी पक्षों के बीच ऐसे अनैतिक लेन-देन से संबंधित ऐसे विवादों में पुलिस को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए जो पूर्ववर्ती जांच या अन्वेषण के आलोक में प्रथम दृष्टया विवादास्पद प्रतीत होते हैं- पुलिस की ओर से सतर्कता की आवश्यकता सर्वोपरि है। [कण्डिका 15]

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

अपास्त करना; प्रत्यारोप; नौकरी प्राप्त करने हेतु धन वसूला गया; पुलिस द्वारा अत्यधिक सावधानी बरता जाना; विधि प्रवर्तन अभिकरण के संसाधन; विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग।

प्रकरण का उद्भव

दाण्डिक अपील की अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं. 1007/2024,
डब्ल्यू. पी. सी. आर. सं. 703/2022 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्णय व आदेश दिनांक 11.07.2023 से

पक्षकारों की आेर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की आेर से समीर श्रीवास्तव, डॉ. संगीता वर्मा, शिवेंद्र दीक्षित, अधिवक्ता।

उत्तरवादियों की आेर से गौतम नारायण, सुश्री स्मिता सिंह, हर्षित गोयल, सुजय जैन, सचिन पाटिल, कैलास बाजीराव औताडे, सुनील कुमार सेठी, अधिवक्ता।

[2024] 3 एस.सी.आर

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

विक्रम नाथ, न्यायाधीश

1. अनुमति दी गई।
2. एक विधि प्रवर्तन अभिकरण के रूप में, पुलिस बल के कंधों पर सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने, सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने और न्याय की नींव को स्थिर रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। यद्यपि, प्रस्तुत प्रकरण, जो कि वितीय अनुचितता और टूटे वादों के जवाबी आरोपों से भरा हुआ है, उन जटिल मामलों को उजागर करता है जो कभी-कभी पुलिस बल के हाथों में आ जाते हैं। प्रकरण की सन्निकट रूपरेखा से परे, हितों के उस संतुलन के विषय में एक व्यापक प्रश्न प्रकट होता है जो विवेकहीन निजी शिकायतों के निराकरण और सार्वजनिक हितों की रक्षा के मध्य स्थापित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य एक-दूसरे के विरुद्ध लगाए गए प्रत्यारोपों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस स्वयं को इस तरह के अनैतिक निजी मुद्दों के अप्रासंगिक और तुच्छ विवरणों में उलझी हुई पाती है, जिससे संसाधन अधिक परिणामी मामलों की खोज से दूर हो जाते हैं। पुलिस का मूल्यवान समय उन विवादों की जांच में बर्बाद हो जाता है जो नागरिक समाधान हेतु अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। यह विधि प्रवर्तन संसाधनों के विवेकपूर्ण आवंटन की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो अधिक सामाजिक परिणाम के मामलों के प्रति उनके प्रयासों को निर्देशित करने के महत्व पर जोर देता है।

[2024] 3 एस.सी.आर

3. इस अपील के माध्यम से, डब्ल्यू. पी. सी. आर. क्र. 703/2022 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश की यथार्थता को चुनौती दी गई है, जिसमें 2022 के अपराध क्र.248 संबंधी प्राथमिकि से उद्भूत दण्डिक कार्यवाही को अपास्त करने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

4. प्रस्तुत अपील पर निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक तथ्य निम्नानुसार हैं:

क) अपीलार्थी ने कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) के समक्ष 06.04.2021 दिनांकित शिकायत प्रस्तुत की जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उत्तरवादी क्र. 6 (राजकुमारी मरावी) ने अपीलार्थी को यह प्रलोभन दिया था कि वह उसके भाई-राज कुमार श्रीवास हेतु नौकरी सुनिश्चित करेगी क्योंकि उसके उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क थे और उसने ऐसा करने हेतु एक बड़ी राशि की मांग की थी। अपीलार्थी प्रलोभित हो गया और पहली बार में उसने रु.80,000/- नगद का भुगतान किया। बाद में एक अतिरिक्त मांग की गई और अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के अनुसार, उसने लगभग रु.20,000/- और विषम राशि विभिन्न बैंक खातों में जमा की है, जिन खातों का विवरण उत्तरवादी क्र. 6 द्वारा उसे दिया गया था। जब कुछ नहीं हुआ और अपीलार्थी के भाई को कोई नौकरी नहीं दिलाई गई तो अपीलार्थी ने उत्तरवादी क्र.6 से पैसे वापस करने हेतु संपर्क किया, जिस पर उसने अपीलार्थी को झूठा फँसाने की धमकी दी और बाद में उसने उसके फोन का जवाब देना बंद कर दिया और उसे टालने लगी।

ख) स्पष्ट रूप से, कलेक्टर ने उक्त शिकायत दिनांक 06.04.2021 को जांच हेतु जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दिया। यह जांच अभिकथित तौर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभरी, थाना शक्ति, जिला जांजगीर-चांपा, को सौंपी गई। थाना प्रभरी ने विस्तृत पूछताछ की तथा अपीलार्थी, उत्तरवादी क्र.6 और अन्य व्यक्ति जिन्हें साक्षी के रूप में

[2024] 3 एस.सी.आर

संदर्भित करने की मांग की गई थी,के कथन लेखबद्ध किए और अंततः 25.07.2021 को पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

ग) रिपोर्ट में दिलचस्प तथ्य उल्लिखित थे,जिनके अनुसार, दोनों पक्ष अर्थात् अपीलार्थी और उत्तरवादी क्र.6 एक-दूसरे पर अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा रहे थे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अपीलार्थी अपने भाई हेतु नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उत्तरवादी क्र.6 के अनुसार, अपीलार्थी ने उत्तरवादी क्र.6 की पुत्री को नौकरी दिलाने के नाम पर उससे लगभग 4 लाख रुपये लिए थे। जाँच में यह भी पाया गया कि जब अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी क्र.6 की पुत्री को कोई नौकरी नहीं दिलाई गई, तो अपीलार्थी ने उसके बैंक खाते में कुछ राशि जमा करके उसे वापस कर दिया। दोनों पक्षों ने आरोप लगाया था कि एक-दूसरे के विरुद्ध झूठी शिकायतें की जा रही थीं। दिलचस्प बात यह है कि जब पूछताछ में थाना प्रभरी द्वारा अपीलार्थी और उत्तरवादी क्र.6 से प्रासंगिक दस्तावेजों, कॉल रिकॉर्ड्स के विवरण और बातचीत की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करने की मांग की गई तो वे ऐसी कोई सामग्री प्रदान करने में विफल रहे। तदनुसार, यह अनुशंसा की गई थी कि परिवार को बंद किया जाना चाहिए।

5. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद उत्तरवादी क्र.6 अपीलार्थी के विरुद्ध 27.07.2022 को एक प्राथमिकी दर्ज कराने में सफल रहा, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक P-3 के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्राथमिकी के लेख के अनुसार, अपीलार्थी तथा अन्य सह-अभियुक्त अर्थात् उसके भाई द्वारा उत्तरवादी क्र.6 की पुत्री को नौकरी दिलाने हेतु 4 लाख रुपये की राशि ली गई है। उक्त राशि का भुगतान अप्रैल 2019 में किया गया था। कथित रूप से लेन-देन विशुद्ध रूप से नगद में हुआ और कोई बैंक संव्यवहार नहीं हुआ है। इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक जांच की गई और अनुविभागीय अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस जाँच में यह

[2024] 3 एस.सी.आर

पाया गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है।

6. अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथमिकी और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को अपास्त करने हेतु एक याचिका दायर की। उक्त याचिका को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके कारण वर्तमान अपील दायर की गई है।

7. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि पहले अपीलार्थी द्वारा जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत की गई शिकायत पर, एक जांच की गई थी जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध समान आरोप लगाए गए थे, जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी और इसलिए, उक्त जांच के लगभग एक वर्ष बाद आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज कराना दुर्भावनापूर्ण है और विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आगे यह तर्क किया गया कि आक्षेपित प्राथमिकी एक प्रतिवाद है जिसे दुर्भावनापूर्ण रीति से केवल इसलिए दर्ज कराया गया है कि अपीलार्थी उसके द्वारा उत्तरवादी क्र.6 को दी गई राशि वापस न प्राप्त कर सके। यह तर्क भी किया गया कि प्राथमिकी के अनुसार कथित लेन-देन अप्रैल, 2019 का है जबकि प्राथमिकी तीन वर्ष से अधिक समय के बाद जुलाई, 2022 में दर्ज कराई गई है और इसलिए, विलम्ब के आधार पर, उक्त प्राथमिकी अपास्त किए जाने योग्य है।

9. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ राज्य के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तरवादिओं के विद्वान अधिवक्ता ने भी तर्क किया है कि प्राथमिकी में एक संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया था और इस तरह उच्च न्यायालय ने याचिका को सही रीति से खारिज कर दिया है; अन्वेषण जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और यदि अंततः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 (2) के अन्तर्गत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें अपीलार्थी को अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप का दोषी पाया जाता है, तो अपीलार्थी के पास आरोप पत्र का खण्डन करने तथा आरोप विरचित किए जाने के चरण में

[2024] 3 एस.सी.आर

आरोपमुक्त किए जाने का दावा करने हेतु पर्याप्त उपाय होगा। अन्वेषण को रोकने का कोई औचित्य नहीं है जो अंततः न केवल उत्तरवादी क्र.6 को उसकी मेहनत की कमाई से वंचित कर सकता है बल्कि अपीलार्थी को उसके द्वारा कारित अपराध के दण्ड से भी बचा देगा। यह तर्क भी किया गया कि यह धोखाधड़ी का एक स्पष्ट मामला था क्योंकि अपीलार्थी ने छलपूर्वक उत्तरवादी क्र.6 से उसकी पुत्री को नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी राशि प्राप्त की और उसके बाद न तो नौकरी दिलाई और न ही पैसे वापस किए।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हम अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करने हेतु आगे बढ़ते हैं।

11. अपीलार्थी द्वारा 2021 में कलेक्टर को की गई शिकायत में संबंधित थाने के प्रभारी द्वारा एक जांच की गई है जिसमें तथ्य यह है कि उत्तरवादी क्र.6 ने उसने कहा था कि उसने अपनी पुत्री को नौकरी दिलाने हेतु अपीलार्थी को 4 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उत्तरवादी क्र.6 अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत से अच्छी तरह से अवगत थी और जाँच में उसका कथन वास्तव में दर्ज किया गया था। इसलिए, उत्तरवादी क्र.6 यह अभिवाक नहीं कर सकती कि उसे अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद उसने अपीलार्थी और उसके भाई के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं की और जुलाई, 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा की।

12. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, अपीलार्थी द्वारा अप्रैल, 2019 से तीन महीने के भीतर अर्थात् जुलाई, 2019 तक नौकरी दिलाई जानी थी। यद्यपि, उत्तरवादी क्र.6 ने जुलाई, 2022 तक तीन वर्ष की अवधि तक अर्थात् विचाराधीन प्राथमिकी दर्ज कराए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, प्राथमिकी में तीन वर्ष का गंभीर विलंब हुआ है जिसका कारण बिल्कुल अस्पष्ट है।

13. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का परिशीलन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह उन पक्षकारों के मध्य एक पूरी तरह से गैरकानूनी अनुबंध था जहां सरकारी

[2024] 3 एस.सी.आर

विभाग(ओं) या निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने हेतु धन का भुगतान किया जा रहा था। स्पष्टतः, उक्त उद्देश्य हेतु वसूली हेतु एक वाद दायर नहीं किया जा सकता था और यदि वाद दायर किया भी जाता तो भी उसे स्थापित करना कठिन होता क्योंकि भुगतान पूरी तरह से नगद में किया गया था। इसलिए, उत्तरवादी क्र.6 ने प्राथमिकी दर्ज कराकर अपीलार्थी और उसके भाई पर दबाव बनाकर उक्त राशि की वसूली का एक बेहतर माध्यम ढूँढ लिया। दाण्डिक अभियोजन के भय से शायद अपीलार्थी कुछ पैसे देकर विवाद को सुलझाने की कोशिश किया होता।

14. अंत में, तथ्यात्मक आव्यूह से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया, इसमें संलिप्त पक्षकारों द्वारा प्रदर्शित आचरण संदेह से दूषित प्रतीत होता है, जो उनके दावों की सच्चाई को धूमिल करता है। पिछली जांच की रिपोर्ट एक जटिल परिदृश्य को दर्शाती है और दोनों पक्षों के अनैतिक, शायद आपराधिक, व्यवहार के चिन्हों को उजागर करती है। पिछली जांच की जानकारी के बावजूद इन आरोपों को पुलिस के ध्यान में लाने में अस्पष्टिकृत अत्यधिक विलंब, और भी अधिक संदेह पैदा करती है और दावों की प्रामाणिकता में संदेह की एक परत जोड़ती है। अभिकथित तथ्यों के साथ-साथ पूर्व जांच से पक्षकारों के बीच एक साझा दोष प्रकट होता है, जो छल के एक जटिल जाल और अनैतिक संव्यवहार का संकेत देता है, जहां अर्थविधानिक उपचार भी कारगर नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार, इस विवाद का उद्देश्य, स्पष्ट रूप से केवल दबाव डालकर और दाण्डिक कार्यवाही की धमकी से दूषित धन की वसूली के दुर्भावनापूर्ण इरादों से भरा हुआ है जिसे आगे बढ़ने और विधि प्रवर्तन अभिकरण के समय और संसाधनों का दोहन करने नहीं दिया जा सकता।

15. अंतिम सुझावों के रूप में, यह कहना अनिवार्य हो जाता है कि पुलिस को निजी पक्षों के बीच ऐसे अनैतिक संव्यवहार से संबंधित विवाद में सम्मिलित किए जाने पर अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए जो पिछली पूछताछ या जांच के आलोक में प्रथम दृष्टया विवादास्पद प्रतीत होते हों। पुलिस की ओर से सतर्कता की आवश्यकता सर्वोपरि है, और उन मामलों पर एक विवेकपूर्ण नज़र रखी जानी चाहिए जहां अनैतिक आचरण न्याय की खोज पर ग्रहण लगाता प्रतीत होता हो।

[2024] 3 एस.सी.आर

यह प्रकरण वास्तविक और नकली के बीच अंतर करने हेतु एक चौकस दृष्टिकोण की आवश्यकता का उदाहरण देता है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के संसाधनों का उपयोग वास्तविक सामाजिक महत्व के मामलों हेतु किया जाए।

16. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, हमारा विचार है कि इस तरह के दाण्डिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां प्राथमिकी दर्ज करने का उद्देश्य दाण्डिक अभियोजन और अपराधी को किए गए अपराध हेतु दंडित करने हेतु नहीं है, बल्कि जबरदस्ती और दबाव के तहत धन की वसूली हेतु और ऊपर निर्धारित अन्य सभी कारणों हेतु भी है।

17. हम, तदानुसार, इस अपील को स्वीकार करते हैं, और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए, प्राथमिकी क्र. 248/2022 से उद्भूत समस्त कार्यवाही को अपास्त करते हैं।

शीर्ष टिप्पण दिव्या पांडे द्वारा तैयार किया गया

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत

विचार के लिए मुद्दा

यह मामला निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 1 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय के समक्ष दायर चुनावी बॉन्ड के संबंध में डेटा वापस करने की मांग करने वाले आवेदन से संबंधित है, ताकि वह इस न्यायालय के दिनांक 2 के आदेश का पालन कर सके जो निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर दिए गए डेटा को अपलोड करने का निर्देश देता है।

हेडनोट्स

[2024] 3 एस.सी.आर

चुनाव-चुनावी बॉन्ड-निर्वाचन आयोग द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर चुनावी बॉन्ड के संबंध में डेटा वापस करने की मांग करने वाला आवेदन ताकि वह सभी दस्तावेजों को अपलोड कर सके क्योंकि उसके पास उस डेटा की एक प्रति नहीं थी जिसे उसने इस न्यायालय के समक्ष सीलबंद हिरासत में रखा था।

आयोजित किया गया:ई. सी. आई. द्वारा दाखिल किए गए ऑकड़ों को स्कैन और डिजिटल बनाने के लिए पंजीयक (न्यायिक) को निर्देश जारी करना और उसके बाद उसे ई. सी. आई. के अधिवक्ता को वापस करना, जो निर्धारित अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर ऑकड़ों को अपलोड करेंगे-भारतीय स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी करना क्योंकि एस. बी. आई. ने चुनावी बॉन्डों की अल्फा-संख्यात्मक संख्या का खुलासा नहीं किया है, साथ ही सुनवाई की अगली तारीख को खरीदे गए और छुड़ाए गए बॉन्डों के विवरण के प्रबंधन और भंडारण के लिए जिम्मेदार एस. बी. आई. के एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति के निर्देश भी जारी करना।

मामला विधि
उद्धृत किया
गया

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ,

[2021] 2 एससीआर 851:2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 880-निर्दिष्ट।

* लेखक

418

[2024] 3 एससीआर आर।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट

मुख्य शब्दों
की सूची

दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण; चुनावी बॉन्ड; चुनावी बॉन्ड की अल्फा-संख्यात्मक संख्या।

[2024] 3 एस.सी.आर

मामला सामने
आ रहा है

नागरिक मूल न्यायनिर्णय:2024 की विविध अनुप्रयोग डायरी **No.11805**

2017 की लिखित याचिका (सिविल) **No.880** में 2024 के विविध आवेदन **No.486** में

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 2024 के एमए **No.486** में दिनांकित 11.03.2024 के निर्णय और आदेश से

दलों के लिए
उपस्थिति

प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, सुश्री काजल गिरी, प्रणव सचदेवा, सुश्री शिवानी कपूर, कमल किशोर, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अपर्णा सिंह, अधिवक्ता। आवेदक के लिए।

उत्तरदाताओं की ओर से तुषार मेहता, एस. जी., कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

उच्चतम
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

आदेश दें

1. भारत निर्वाचन आयोग 1 द्वारा आगे के निर्देशों के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

2. 11 मार्च 2024 के इस न्यायालय के आदेश में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया था कि निर्वाचन आयोग 12 अप्रैल 2019 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में इस न्यायालय को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा,

[2024] 3 एस.सी.आर

जिसे इस न्यायालय की हिरासत में रखा जा रहा था। यह निर्देश जारी करते समय, न्यायालय ने अनुमान लगाया है कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष दर्ज किए गए आंकड़ों की एक प्रति निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध होगी।

1 “ई. सी. आई. ”

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अनदर बनाम भारत संघ और अन्य

3. ई. सी. आई. की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अमित शर्मा कहते हैं कि वास्तव में, ई. सी. आई. ने उस डेटा की प्रति अपने पास नहीं रखी थी जिसे उसने इस अदालत के समक्ष सीलबंद हिरासत में रखे जाने के बाद से एकत्र किया था।

4. इसलिए, निर्वाचन आयोग का अनुरोध है कि इस न्यायालय के समक्ष दायर किए गए आंकड़ों को उसे वापस कर दिया जाए ताकि वह सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इस न्यायालय के आदेश का पालन कर सके। निर्वाचन आयोग के इस अनुरोध का श्री कपिल सिब्बल और श्री विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने विरोध नहीं किया है।

5. तदनुसार हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं: (i) इस न्यायालय का पंजीयक (न्यायिक) यह सुनिश्चित करेगा कि इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा दायर किए गए आंकड़ों को स्कैन और डिजिटल किया गया है। यह अधिमानतः कल शाम 5 बजे (16 मार्च 2024) तक किया जा सकता है।

((ii) एक बार उपरोक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, मूल जानकारी ईसीआई की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अमित शर्मा को वापस कर दी जाएगी; (iii) ईसीआई तब 17 मार्च 2024 को शाम 5 बजे या उससे पहले अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करेगा; और

(iv) डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की प्रतिकृति को रोकने के लिए श्री अमित शर्मा को स्कैन की गई और डिजिटल की गई फाइलों की एक प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

6. विविध अनुप्रयोग का तदनुसार निपटान किया जाता है।

[2024] 3 एस.सी.आर

7. संघ में संविधान पीठ का निर्णय

लोकतांत्रिक सुधार बनाम भारत संघ 2 के लिए स्टेट बैंक की आवश्यकता थी

3. खरीद/मोचन की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के मूल्य सहित, राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए चुनावी बॉन्ड और, जैसा भी मामला हो, भुनाने के लिए, चुनाव आयोग को सभी विवरण प्रस्तुत करना। यह प्रस्तुत किया गया है कि एस. बी. आई. ने चुनावी बॉन्ड की अल्फा-संख्यात्मक संख्या का खुलासा नहीं किया है।

2 [2021] 2 एससीआर 851:2017 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 880 3 "एस. बी. आई".

420

8. भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चूंकि वह एस. बी. आई. की ओर से पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसे नोटिस जारी किया जा सकता है।

9. हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह एस. बी. आई. को नोटिस जारी करे, जो 18 मार्च 2024 को वापस किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हम एस. बी. आई. के एक वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति का भी निर्देश देते हैं जो सुनवाई की अगली तारीख को खरीदे गए और छुड़ाए गए बॉन्ड के विवरण के प्रबंधन और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। 10. इस आदेश की एक प्रति पंजीयक (न्यायिक) द्वारा एस. बी. आई. के स्थायी अधिवक्ता श्री संजय कपूर को दी जाएगी।

मामले का परिणाम:

विविध आवेदन का निपटारा किया गया।